प्रेस नोट
दिनांक – 19.02.2026

सशस्त्र सीमा बल द्वारा सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया हैंडबॉल क्लस्टर के अंतर्गत बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस टीम द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर टीम के सदस्य गोण्डा पुलिस के आरक्षी को पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्मानित किया गया।

सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित द्वितीय ऑल इंडिया हैण्डबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता के अंतर्गत संपन्न बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देश के विभिन्न अर्द्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस की बास्केटबॉल टीम द्वारा उत्कृष्ट समन्वय, अनुशासन एवं खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप अपने नाम की गई। उक्त प्रतियोगिता में जनपद गोण्डा पुलिस लाइन में नियुक्त आरक्षी मंगत राम द्वारा टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जिसके फलस्वरूप टीम को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रथम स्थान अर्जित किया।
आज दिनांक 19.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपने कार्यालय/पुलिस लाइन में आयोजित सम्मान कार्यक्रम के दौरान आरक्षी मंगत राम को उनके सराहनीय प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनके खेल कौशल, समर्पण एवं अनुशासन की प्रशंसा करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएँ पुलिस बल में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता एवं शारीरिक दक्षता को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम हैं। गोण्डा पुलिस के कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाना समस्त जनपद के लिए गर्व का विषय है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.02.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कूटरचना कर जालसाजी करने के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 026/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3),340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त - माधवराज पुत्र जगप्रसाद निवासी निगवाबोध थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को सुभागपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 08.01.2026 को वादिनी लालदेवी पत्नी अवधेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम वीरपुर सूबेदार, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उनके पिता राम अनोखे की कृषि भूमि वर्ष 2012-14 में बैनामा के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई थी, जिस पर उनका विधिवत कब्जा है। उनके चाचा छोटेलाल द्वारा उक्त भूमि के संबंध में दीवानी वाद दायर किया गया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। चाचा छोटेलाल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र हरीराम व अन्य के द्वारा दीवानी वाद में सफलता न मिलने पर फर्जी विक्रय विलेख तैयार कर भूमि हड़पने का प्रयास किया गया तथा रजिस्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। रजिस्ट्री से इंकार होने पर जिला रजिस्ट्रार/एडीएम न्यायालय में अपील की गई। जानकारी होने पर जांच की गई तो पाया गया कि वादिनी के नाम से फर्जी अंगूठा निशान लगाकर दस्तावेज तैयार किए गए, जबकि वादिनी द्वारा कोई बैनामा न किया गया और न ही कोई धनराशि प्राप्त की गई। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.12.2025 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 01 वांछित अभियुक्त- माधवराज पुत्र जगप्रसाद निवासी निगवाबोध थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को सुभागपुर रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. माधवराज पुत्र जगप्रसाद निवासी निगवाबोध थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 026/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3),340(2), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. अति0प्र0नि0 सभाजीत सिंह मय हमराह
02. कां0 अमित तोमर

मीडिया सेल, गोण्डा।